न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 70/2023 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
32ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास स0मा0
GCMS No-2023/140

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.8.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1. यह कि ग्राम मैनपुरा सवाईमाधोपुर के पुराने ख0न0 598 रकबा 8 बीघा व इसी ख0न0 का नये खसरा नम्बर 282 रकबा 2.02 है0 के आवंटन आदेश जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर कमांक एफ.12(124)स्कूल/राजस्व/98/1978—85 दिनांक 2.3.1995 व आदेश तहसील के कमांक एलआर/06/2791 दिनांक 18.7.2006 व श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश कमांक 4/2/1/स्कूल/राजस्व/95/1137—45 दिनांक 18.5.1995 व संशोधित आदेश कमांक/ 2/1/स्कूल/राजस्व/95/2390—98 दिनांक 7.9.1995 की मूल पत्रावली की छायाप्रति मय समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावे। 2. यह है कि ग्राम मैनपुरा तहसील सवाईमाधोपुर के ख0न0 गत 598 मे 8 व नये ख0न0 2436/282 व 2438/282 रकबा 2.02 है0 भूमि जनजाति महिला विकास संस्थान सवाईमाधोपुर को आवंटित की गयी जिसकी मूल पत्रावली की छायाप्रति मय दस्तावेज उपलब्ध करावे। 3. यह है कि अपील सूकाअ सख्या 29/2023 के प्रकरण मे नियत आगामी तारीख दिनांक 19.7.2023 का पत्र आवेदक को कोर्ट न्यायालय परिसर मे दिनांक 19.7.2023 को ही प्राप्त हुआ है न्यायालय हाजा अपील संख्या 29/2023 के निर्णय दिनांक 24.8.2023 की प्रति पत्रांक 1228—1229 दिनांक 25.8.023 से भिजवाना दर्शाया गया है, कमांक/कोर्ट/आरटीआई अपील/2023/1228—1229 दिनांक 25.8.2023 की प्रति द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर आवेदक को आज दिनांक तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। निर्णय मे आफिस कानूनगो एवं तत्कालीन तहसीलदार सवाईमाधोपुर की लापरवाही प्रतीत होना दर्शाया गया है। श्रीमान के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। 4. यह है कि प.स. स0मा0 के ग्राम मैनपुरा स0मा0 की भूमि का पटटा किसके द्वारा जारी किया जाता है पूर्ण पते सहित प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट [illegible] उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम [illegible] इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही [illegible] उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:51 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति दिनांक 1.12.2023 को प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 18.9.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी/अपूर्ण उपलब्ध करवायी गयी है। अतः चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायी जावे। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/23/376 दिनांक 13.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 334 दिनांक 10.11.2023 से बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे से बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी है तथा बिन्दु संख्या 3 की आंशिक सूचना (अपील संख्या 29/23 की निर्णय प्रति) अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.9.2023 के बिन्दु संख्या 1,2 मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर से नही है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नात्मक है। बिन्दु संख्या 3 की आंशिक सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1,2, (3 आंशिक) की सूचना के लिए तहसीलदार को तत्समय अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो का यदि आपके कार्यालय से संबंध नही हो तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत निर्धारित समय सीमा में संबंधित विभाग को अन्तरित किया जावे। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की सूचना की श्रेणी मे आती है तथा उक्तानुसार चाही जा रही सूचना में विस्तृत लोकहित भी प्रकट नही होता है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner